फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष – 2014 2016.

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष –

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम .... दिलीप कुमार अग्निहोत्री ....
2. वर्तमान पता .... D-3, 132 के०वी० उपकेन्द्र कालोनी म०प्र०पा०ट्रां०कं०लि० शहडोल
3. कार्यालय का नाम .... सहायक अभियंता 132 के०वी० उपकेन्द्र म०प्र०पा०ट्रां०कं०लि० उमरिया
4. वर्तमान वेतन .... रु (17780 + 4100 + 27350)
5. भविष्य निधि कमांक .... 25465401 ....
6. कर्मचारी संख्या .... 90515882 DKA.

उस जिले, उप–संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमे सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति नाम तथा ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाई के वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी / कर्मचारी का सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन हेतु	भूमि					
(1) जिला – रीवा तह० – हुजूर (रीवा) पो०आ० – गोविन्दगढ़ ग्राम – नकटा (म०प्र०)	पुराना मकान तथा कृषि भूमि ओं बमे अलग-अलग 5 स्थानों में।	2.5 एकड़	45 लाख लगभग	2 एकड़ स्वयं के नाम पर तथा 0.5 एकड़ छोटे भाई के खाते पर	पुस्तैनी जमीन (विरासत में)	रु. 40000/- लगभग	पूरी जमीन की देखरेख एवं लाभार्जन बेरोजगार होने के कारण छोटे भाई करते हैं।
(2) (कबीर नगर) रायपुर छ०गढ़	MIG Duplex गृह	1100 वर्गफिट	35 लाख	श्री मती शैल अग्निहोत्री पत्नी दीपक अग्निहोत्री (ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्र वधू)	खरीदा, हाउसिंग बोर्ड रायपुर (छ.ग.) जून-जुलाई-2015 (अधिपत्य दिनांक 01.09.2015	निरंक स्वयं का निवास	पुत्र एवं पुत्र वधू द्वारा अर्जित की गई है।

नोट – उपरोक्त अचल सम्पत्ति का विवरण विगत वर्ष 2014 में भी विभाग की ओर प्रस्तुत किया गया है अर्थात वर्ष 2014 में उक्त अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर .... [signature]

नाम दिलीप कुमार अग्निहोत्री

पद . वरिष्ठ परी० सहायक

* जहां लागू न हो, काट दीजिये

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी– मण्डल द्वारा ग्राहय मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी

HINDI